न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

केस संख्या : 26/2010

1. लेखराज पुत्र
2. बीरबल पुत्र
3. विनोद पुत्र
4. तुलसा बाई पुत्री

} स्व0 श्री प्रभूलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम बोरदा तह0 मांगरोल

5. राजेश बाई बेवा हेमराज जाति मीणा निवासी ग्राम बोरदा तह0 मांगरोल

....वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. रामकुवांर पुत्र श्री मथुरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम बोरदा तह0 मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा, श्री के0 के0 सोनी0
वकील प्रतिवादीगण : श्री भंवर सिंह गौड
दायरा दिनांक: 24.05.2010

निर्णय दिनांक : 16.02.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोरदा तह0 मांगरोल में आराजी खसरा नं0 92 रकबा 3.17 है0 स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी कम 1 राम कुवांर पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी बोरदा का 2/3 हिस्सा है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। सभी रिकार्डेड खातेदार है, तथा वादीगण सहित प्रतिवादी नं0 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी के पूर्वी हिस्से 1/3 में वादीगण तथा 2/3 हिस्से में प्रतिवादीगण कम 1 आपसी सहमति के आधार पर हिस्सा विभाजन कर काश्त करते आ रहे थे, चूकि प्रतिवादी कम 1 रामकुवांर द्वारा अपने हिस्सा 2/3 की आढ में वादीगण के पूर्व तय शुदा हिस्से से असहमति व्यक्त कर वादीगण के हक काश्त कब्जे व खाते की आराजी को कुछ हिस्से को जबरन हांक लेता है, तथा वादीगण के हक काश्त की आराजी में अनाधिकृत प्रवेश कर लेता है, सहभागी खातेदार अधिकारो का दुरूपयोग करता है, तथा वादीगण के स्वामित्व की सम्पत्ति को हानि पहुचाता है। खाता शामलाती होने से काश्त व लगान अदायगी में प्रायः झगडे की आंशका रहती है, तथा वादीगण बंटवारा के अभाव में अपने हिस्से का भू–भाग सुधार नही कर पा रहा है, पुख्ता मेढो के अभाव में प्रतिवादी कम 1 वादीगण के हक काश्त में अनाधिकृत मदालखत करते है, वादीगण संयुक्त खाता रखना नही चाहते तथा अपने 1/3 हिस्से के खाते का विभाजन कराकर अपना मेढबंदी सहित हिस्सा अलग

कराने तथा राजस्व रेकार्ड में उसका अंकन कराकर उसी प्रकार कब्जा प्राप्त कर सकने के अधिकारी है। अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि आराजी ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल खसरा नं0 92 रकबा 3.17 है0 में वादीगण का पूर्वी हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 2/3 हिस्सा से बंटवारा किया जाकर खाते का विभाजन किया जावे तथा मौके पर माप अनुसार मेढबंदी किया जाकर खाते का विभाजन किया जावे तथा मौके पर माप अनुसार मेढबंदी कराई जावे तथा प्रतिवादी कम 2 को आदेशित किया जावे कि उसका राजस्व रेकार्ड में अमल किया जाकर प्रत्येक का लगान निर्धारित कर खाता अलग–अलग किया जावे व प्रत्येक को उसके हिस्से पर काबिज किया जावे। वादी के हक में खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादीगण को उसके पूर्वी हिस्से 1/3 को काश्त व उपयोग करने में किसी प्रकार की बाधा न स्वयं डाले न अन्यो से डलावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी कम 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश किया, काउन्टर क्लेम का जवाबुल जवाब वादीण के द्वारा पेश किया गया। जवाब दावा अनुसार प्रतिवादीगण को वाद पत्र के मद संख्या 1 स्वीकार व मद संख्या 2 अस्वीकार व मद संख्या 3 में प्रतिवादी नं0 1 का 2/3 हिस्सा होना स्वीकार व अन्य अस्वीकार है। मद संख्या 4 व 5 अस्वीकार है। मद संख्या 6 से 8 कानूनी है व मद संख्या 9 अस्वीकार है। प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम में निवेदन किया कि ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल खसरा नं0 92 रकबा 3.17 है0 में वादीगण का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 2/3 दर्ज है। वादीगण ने अपना हिस्सा 1/3 दौराने सेटलमेंट दर्ज कराया है। जो निरस्त करने योग्य है। वादीगण का प्रतिवादीगण कम 1 के परिवार से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। सही स्थिति यह है कि वादीगण का पिता प्रभूलाल मोतीलाल के द्वारा दूसरा नाता विवाह करने के समय वादीगण की दादी गोपाली के साथ ग्राम भटवाडा से आया था, मोतीलाल की प्रथम पत्नि की मृत्यु होने के बाद मोतीलाल ने गोपाली से आज से करीबन 60 वर्ष पूर्व नाता विवाह किया था। उस समय वादीगण के पिता प्रभूलाल की उम्र 4–5 साल की थी, जो अपनी मां गोपाली के साथ विवाह के समय ग्राम भटवाडा से आया था। इस प्रकार प्रतिवादी नं0 1 के परिवार से वादीगण के पिता प्रभूलाल का दूरदराज का काई सम्बन्ध नही है। मोतीलाल की पत्नि नाता शुदा का देहान्त करीबन 56 वर्ष पूर्व हो गया है, देहान्त के पश्चात उक्त वर्णित आराजी में गोपाली का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया है, जबकि वादीगण के पिता प्रभूलाल का नाम खाते में दर्ज नही किया गया है, विधि के प्रावधानो के अनुसार व नये व पुराने हिन्दू अधिनियम के अनुसार दूसरे परिवार से पैदा हुई संतान

जाने वाली महिला के परिवार से कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही होता है, वादीगण के पिता का देहान्त भी करीब 22–23 साल पूर्व हो गया है। उस वक्त भी वादीगण द्वारा उक्त आराजी मे खातेदार अपना नाम दर्ज कराने का कोई प्रयास नही किया। वर्तमान खसरा नं0 92 रकबा 3.96 है0 का सेटलमेंट से पूर्व खसरा नं0 87 रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा दर्ज था। खाता सम्वत 2014 से सम्वत 2017 मे उक्त आराजी 19 बीघा 1 बिस्वा के खातेदार गोपाली बेवा मोतीलाल हिस्सा 1/3, पांच्या मथुरा पुत्र अमरा हिस्सा 1/3 व पन्ना पुत्र देवलाल हिस्सा 1/3 दर्ज था। इसी प्रकार खाता सम्वत 2014 से 2030 तक व खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 से 2030 तक हिस्सा 1/3 गोपाली बेवा मोतीलाल हिस्सा 1/3 पांच्या मथुरा पुत्र अमरा हिस्सा 1/3 पन्ना पुत्र देवलाल हिस्सा 1/3 दर्ज है। सम्वत 2014 से 2021 तक की खसरा गिरदावरी में काश्त पांच्या मथुरा के द्वारा किया जाना दर्ज है। सम्वत 2029 से 2040 तक की जमाबंदी में खसरा नं0 87 का रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा खातेदार गोपाली बेवा मोतीलाल हिस्सा 1/3 पांच्या मथुरा पुत्र अमरा हिस्सा 1/3 व पन्ना पुत्र देवलाल हिस्सा 1/3 दर्ज है। गोपाली का हिस्सा 1/3 सम्वत 2040 तक बदस्तूर होने पर भी वादीगण के पिता प्रभूलाल ने अपना हिस्सा उक्त आराजी में दर्ज नही कराया क्योकि किसी भी प्रकार से उक्त आराजी में वादीगण व उसके पिता प्रभूलाल का कोई हक नही बनता है। खातेदार गोपाली बेवा मोतीलाल की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी नं0 1 की गोपाली के हिस्से 1/3 का वैधानिक उत्तराधिकारी है। क्योकि मोतीलाल प्रतिवादी नं0 1 के पूर्वजो में से व परिवार में से ही होने के कारण उसकी समस्त चल अचल सम्पत्ति पर प्रतिवादी नं0 1 रामकुवांर का ही वैधानिक व कानूनी अधिकार है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे व प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वर्तमान खाता संख्या 149 खसरा नं0 92 रकबा 3.17 है0 आराजी में हिस्सा वादीगण लेखराज, बीरबल, विनोद पुत्र प्रभूलाल, तुलसा पुत्री प्रभूलाल, कान्ही बाई बेवा प्रभूलाल, राजेश बाई बेवा हेमराज हिस्सा 1/3 प्रतिवादी नं0 1 रामकुवार के खाते दर्ज किया जावे। वादीगण का नाम खाते से हटाया जावें। प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत वादोत्तर का वादीगण की ओर से निम्न जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत है:– जिसके अनुसार प्रतिवादी कम 1 ने जवाब दवा में मद नं0 1 का गलत जवाब दिया है। मद नं0 2 गलत तथ्य से अस्वीकार की है सजरी सही दर्ज है। जवाब वाद पत्र की मद नं0 3 के जवाब में अंकित समस्त तथ्य मिथ्या अनावश्यक होने से अस्वीकार है। वादीगण का हिस्सा 1/3 तथा उनके हकूक परिपक्व है। वाद पत्र की मद नं0 4 में अंकित विवरण सत्य व सही दर्ज है, उसका प्रतिवादी ने गलत जवाब दिया है। अपने हकूक की रक्षार्थ वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 1 आपसी सहमति से विभाजन को तैयार नही है। प्रार्थना प्रतिवादी नं0 1 सर्वथा मिथ्या व तथ्यो से असंगत एवं विधि विरूद्ध है, स्वीकार नही है। काउन्टर क्लेम में वर्णित घोषणा करा पा सकने का प्रतिवादी नं0 1 अधिकारी नही है, क्योकि न तो उसके कोई वैध स्वामित्व है, और ना वैध दस्तावेज है। राज0 काश्तकारी

दीगण के पक्ष में दौनो ही तथ्य खातेदारी दी जा सकती है। प्रतिवादी के पक्ष में दौनो ही तथ्य

... अनुसार वैध अन्तरण होने पर ही खातेदारी दी जा सकती है। प्रतिवादी के पक्ष में दौनो ही तथ्य ... उसका प्रार्थना करना सर्वथा गलत है। प्रतिवादी का किसी प्रकार का कोई वैध स्वामित्व या ... वादीगण की आराजी पर नही है। अतः वह वादीगण जिसे वैधानिक तौर पर दस्तावेज से आराजी का 1/3 हिस्सा प्राप्त है, तथा वह अपने कब्जे के हिस्से रकबा 3.17 है0 खसरा नं0 92 के हिस्सा 1/3 पूर्वी ... से पर काबिज है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी कोई सहायता वादीगण के विरूद्ध प्राप्त कर सकने का अधिकारी नही है।

वादपत्र, काउन्टर क्लेम, व जवाबदावा और जवाबुल जवाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः–

1. वादीगण का खसरा नं0 92 रकबा 3.17 है0 ग्राम बोरदा तह0 मांगरोल की आराजी में 1/3 हिस्सा है जिसको पृथक कराकर अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण
2. वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 सहमति के आधार पर अपने–अपने हिस्सो पर काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन अब प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में लगातार दखलअंदाजी करने लगा है, अतः स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक हो गया है।
3. वादीगण ने दौराने सेटलमेंट राजस्व अधिकारियो से मिलकर आराजी खसरा नं0 92 रकबा 3. 17 है0 में 1/3 हिस्सा दर्ज करा लिया है। प्रतिवादी कम 1
4. मोतीलाल की पहली पत्नि की मृत्यु होने पर मोतीलाल ने गोपाली से नाता विवाह किया था, और गोपाली के साथ वादीगण का पिता प्रभूलाल करीब 60 वर्ष गेलड आया था।
5. पूर्व खातेदार गोपाली की मृत्यु होने के बाद प्रतिवादी कम 1 ही गोपाली के हिस्से के वैधानिक अधिकारी है।
6. दादरसी

वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू 1 विनोद, पीब्ल्यू 2 दाखांबाई व पीडब्ल्यू 3 केसरीलाल के बयान करवाये व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2059–62 ग्राम बोरदा, प्रदर्श–2 जमाबंदी 2063–66, प्रदर्श 3 सेटलमेंट जमाबंदी 2014–2023 प्रदर्श 4 जमाबंदी सम्वत 2011–14, प्रदर्श 5 जमाबंदी 2055–2058 प्रदर्श 6 जमाबंदी सम्वत 2037–2040 प्रदर्श 7 लगायत प्रदर्श 9 खसरा गिरदावरी ग्राम बोरदा प्रदर्श 10 जमाबंदी सम्वत 2063–2066 प्रदर्श 11 व प्रदर्श 13 खसरा गिरदावरी व प्रदर्श 12 जमाबंदी सम्वत 2029–2031 ग्राम बोरदा प्रदर्श 14 जमाबंदी 2033–2036 प्रदर्श 15 मिलान क्षैत्रफल हाल खसरा नं0 92 प्रदर्श 16 लगायत 30 कर्ता रसीद आराजी है। प्रतिवादी ने साक्ष्य में स्वयं प्रतिवादी डीडब्ल्यू 1 रामकुवांर के बयान करवाये दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रदर्श नही कराया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष ने उन्ही तथ्यो को अपनी बहस में दोहराया है जो उन्होने अपने–अपने अभिवचन में लिख रखा है। न्यायालय तनकी वार निम्नप्रकार से अपने निर्णय दे रहा है।

तनकी नं0 1:– वकील वादी ने राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपनी बहस में बताया कि मृतक खातेदार गोपाली बेवा मोतीलाल का हिस्सा 1/3 था और गोपाली की मृत्यु के बाद हमारा नाम

[illegible] में दर्ज हो रहा है जमाबंदी प्रदर्श 5 सम्वत 2055–2058 में वादीगण का नाम 1/3 [illegible] वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में कहा कि वादीगण का नाम गोपाली बाई के बाद [illegible] आया कोई दस्तावेज पेश नही किया है। गोपालीबाई के मृत्यु के प्रमाण पत्र, प्रभूलाल का [illegible] प्रमाण पत्र पेश नही किया है।

न्यायालय के मत में वादीगण का नाम बतौर सहखातेदार 1/3 हिस्से में दर्ज है तथा उसको कब्जा कराने के अधिकारी है अतः तनकी नं0 1 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी नं0 2:– वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में न्यायालय का ध्यान इस और आकर्षित किया है कि खसरा नं0 92 रकबा 3.17 है0 वाके माल बोरदा की आराजी पर वादीगण कि और के हिस्से पर काश्त कर रहे है, यह नही बताया है तथा यह भी बहस में बताया कि वादीगण के सर्वप्रथम आराजी खाते में 2055–2058 की जमाबंदी में नाम आया यह नाम किस इंतकाल के आधार पर आया था। दस्तावेज पेश नही किया गया वादीगण की बहस है कि वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कर रहे है यह सही है कि वादीगण ने कर्ता की रसीद प्रदर्श 15 ता 30 पेश की है, खसरा गिरदावरी भी पेश की है लेकिन वादीगण ने अपनी साक्ष्य में यह नही बताया कि आराजी के कौनसे 1/3 हिस्से पर काश्त कर रहे है जबकि प्रतिवादी का कहना है कि वे गोपाली के समय से ही काश्त करता चला आ रहा है, वकील प्रतिवादी ने यह भी कहा कि मात्र कर्ता की रसीद पेश कर देने से कब्जा साबित नही हो जाता है वादीगण ने गलत तरीके से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम कराली है जिसका कोई दस्तावेज नही है।

न्यायालय के मत में वादीगण सहमति के आधार पर काश्त नही कर रहे है क्योकि वादीगण आराजी के कौन से हिस्से पर काश्त कर रहे है यह अपनी बहस में नही बता पाये है उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध तथा प्रतिवादी कम 1 के पक्ष किया जाता है।

तनकी नं0 3 व 4 एक दूसरे से मिली होने के कारण एक साथ निर्णय किया जा रहा है।

तनकी नं0 3 व 4:– वकील प्रतिवादी कम 1 ने बताया कि वादीगण का नाम सम्वत 2055–58 की जमाबंदी प्रदर्श 5 में पहली बार आया है। वादीगण ने यह नही बताया कि किस इंताकल नम्बर से वादीगण के नाम आराजी आयी प्रतिवादी ने यह भी अपनी बहस में बताया कि गोपाली की मृत्यु के बाद आराजी वादीगण के पिता प्रभूलाल के खाते में आनी चाहिए थी। लेकिन आराजी गोपाली के बाद सीधे ही वादीगण के खाते में दर्ज कर दी गयी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रभूलाल का देहान्त गोपाली बाई की मृत्यु के पूर्व ही हो चुका था इसलिये प्रभूलाल का नाम खाते में नही आया। राजस्व कार्मिको ने जांच करके वादीगण के नाम आराजी दर्ज की है।

न्यायालय के मत में ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण ने पेश नही किया जिससे यह साबित होता हो कि आराजी उनके नाम केसे दर्ज हुई अगर सेटलमेंट विभाग ने आराजी वादीगण के खाते दर्ज की है। तो वादीगण को सेटलमेंट विभाग का रेकार्ड पेश करना चाहिए था पीडब्ल्यू 2 दाखाबाई ने अपने बयानो में कहा है कि प्रभूलाल मेंरा भाई है और उसका जन्म ग्राम बोरदा में ही गोपाली बाई के नुत्फे से हुआ है। उभयपक्ष की ओर से गोपाली बाई प्रभूलाल, मोतीलाल का कोई मृत्युप्रमाण पत्र पेश

पेश हुआ है। और ना ही प्रभूलाल का जन्म प्रमाण पत्र पेश हुआ है। यह विचारणीय बिन्दु है कि मोतीलाल की मृत्यु के बाद गोपाली बाई का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज हो गया। लेकिन प्रभूलाल का नाम दर्ज नही हुआ। जबकि गोपाली बाई के बाद मोतीलाल की मृत्यु के बाद बेवा गोपाली बाई व पुत्र प्रभूलाल का नाम आना चाहिए था। प्रभूलाल का नाम राजस्व रेकार्ड में आया ही नही और गोपाली बाई की मृत्यु के बाद सीधे ही आराजी 1/3 हिस्से में वादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। प्रतिवादी के अभिवचन के आधार पर तनकी नं0 4 बनायी गयी थी और प्रतिवादी को ही साबित करना था। कि प्रभूलाल गेलड केसे है लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नही आया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि प्रभूलाल गोपाली बाई के साथ गेलड आया था।

न्यायालय के मत में वादीगण को उक्त इन्तकाल या कार्यवाही इस न्यायालय में पेश करना चाहिए थी। जिससे यह साबित होता हो कि गोपाली बाई की मृत्यु के बाद आराजी उनके खाते में कानूनी प्रकिया अपनाने के बाद दर्ज की गई है। ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं0 3 व 4 वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी नं0 5:– प्रतिवादी कम 1 रामकुवार ने अपने साक्ष्य में बताया है कि अमराजी व देवलाल दो भाई थे। अमराजी के दो पुत्र मथुरालाल व पांचूजी थे पांचूजी के कोई औलाद नही थी उनकी पाग मथुरालाल ने बांधी थी और मथुरालाल मेरे पिता है। मोतीलाल मेंरे काका है। मोतीलाल गोपालीबाई को नाते लाये थे। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि मोतीलाल ने मथुरालाल या रामकुवार को अपने हिस्से की आराजी को दे दी हो या वसियत कर दी हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादी ने पेश नही किया है। रामकुवार ने अपने बयानो में यह भी नही कहां कि मोतीलाल की पगडी उसने बांधी है। तथा आज तक राजस्व रेकार्ड में मोतीलाल का हिस्सा 1/3 अलग दर्ज चलता आं रहा हो। यदि प्रतिवादी मोतीलाल के वैधानिक अधिकारी है। तो मोतीलाल की मृत्यु के बाद ही मोतीलाल के हिस्से पर अपना नाम दर्ज करा लेना चाहिए था। प्रतिवादी दस्तावेजी साक्ष्य या अपने मौखिक बयानो के आधार पर यह साबित करने में विफल रहे है कि प्रतिवादी कम 1 मोतीलाल या गोपाली बाई के वैधानिक अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन से यह तनकी नं0 5 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

दादरसीः– तनकी नं0 2, 3 व 4 वादीगण के साबित नही कर पाने से वाद वादीगण खारिज किया जाता है। काउण्टर क्लेम प्रतिवादी कम 1 भी खारिज किया जाता है

अतः आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण व काउण्टर क्लेम प्रतिवादी कम 1 खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करेंगे, डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।